





सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापदृणम क्षेत्र प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,

Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone 1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035

Office of the Chief Commissioner,

प्रथम तस, जाएसटा मयन, पत्तन द्वत्र, विशाखापट्टणम - 530035 (P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं.06/2024(अधीक्षक)

Establishment Order (G.O) No. 06/2024 (SUPERINTENDENTS) दिनांक 10 जुलाई 2024 Dated 10th Jul 2024

विशाखपट्टणम क्षेत्र के मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से और संयुक्त विकास आयुक्त, विशाखपट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र (VSEZ) के परामर्श से, केंद्रीय कर अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को विशाखपट्टणम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में संवर्गित पदों के विरूद्ध, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs)में तैनात करने के लिए विकास आयुक्त, विशाखपट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र के निपटान में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक रखा गया है :-

With the approval of the Chief Commissioner of Visakhapatnam Zone and in consultation with the Joint Development Commissioner, VSEZ, the following officers in the cadre of Superintendent of Central Tax are placed at the disposal of the Development Commissioner, VSEZ, Visakhapatnam for deployment to SEZs, against encadred posts in the jurisdiction of Visakhapatnam Zone with immediate effect and until further orders:-

संक्र	अधिकारी का नाम (श्री)	वर्तमाम तैनाती स्थान
S1 No.	Name of the officer (Shri)	Present place of posting
1.	के एस वी डी श्रीनिवास	गुंटूर लेखा परीक्षा आयुक्तालय
	K S V D Srinivas	Guntur Audit Commissionerate
2.	एन विजय कुमार	विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय
	N Vijaya Kumar	Visakhapatnam CGST Commissionerate
3.	चावलि प्रसाद	विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय
	Chavali Prasad	Visakhapatnam CGST Commissionerate
4.	एस भूत्रोमानंद	विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय
	S Bhutrommanand	Visakhapatnam CGST Commissionerate

2. बोर्ड के पत्र एफ.सं. A/35017/39/2008-Ad.II दिनांक 27.03.2009 के तेहत, उपरोक्त अधिकारियों को विकास आयुक्त, विशाखपट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र के निपटान में, विकास आयुक्त के समक्ष उनकी रिपोर्टिंग की तारीख से 2 वर्ष की अविध के लिए रखा जाता है।

In terms of Board's letter F.No. A/35017/39/2008-Ad.II dated 27.03.2009, the above officers are placed at the disposal of the Development Commissioner, VSEZ, Visakhapatnam (DC) for a period of 2 years from the date of their reporting before the Development Commissioner, VSEZ.

3. इसके अलावा, ऊपर पेरा 2 पर उद्धृत बोर्ड के पत्र के अनुसार, 09.07.2024 को आयोजित परामर्श बैठक के दौरान विशाखापट्टणम क्षेत्र के मुख्य आयुक्त और विशाखपट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र के संयुक्त विकास आयुक्त के सहमित पर, संवर्ग पदों के विरुद्ध वीएसईजेड में कार्यरत निम्नलिखित अधीक्षकों का कार्यकाल, प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथियों तक बढ़ा दिया गया है: -

Further, in terms of Board's letter cited at Para 2 above, as agreed upon by the Chief Commissioner of Visakhapatnam Zone and the Joint Development Commissioner,

Much

Page 1 of 2

VSEZ during the consultative meeting held on 09.07.2024, the tenure of the following Superintendents working in VSEZ against encadred posts, has been extended up to the dates mentioned against each as under:-

संक्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री) Name of the officer (Shri)	वीएसईजेड में कार्यकाल बढाई गई तिथि Tenure at VSEZ extended up to
1.	के वर प्रसाद	18-Jul-25
	K Vara Prasad	
2.	डी सत्यनारायण राव	29-Jul-25
	D Satyanarayana Rao	
3.	मुनगवलसा श्रीनिवास राव	31-Jul-25
	Munagavalasa Srinivasa Rao	

3. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिकारियों को 12.07.2024 तक कार्यमुक्त किया जाना है ताकि वे अपनी नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर सकें।

The officers mentioned in Para 1 above are to be relieved by 12.07.2024 to enable them join their new place of posting.

- 4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
- 5. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/119/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM] सेवा में To

संबंधित व्यक्तियों को (संबंधित आयुक्तालयों के माध्यम से) ।

The Individual officers (through respective Commissionerates) ਸ਼ਰਿਕਿਧਿ:

- 1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जीएसटी/ गुंटुर लेखा परीक्षा/ हैदराबाद (संनिप्रा)।
- 2. विकास आयुक्त, विशाखपट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र, दुव्वाडा।
- 3. मु.ले. अधिकारी / आ सं अ विशाखापट्टणम जीएसटी / गुंटूर लेखा परीक्षा आयुक्तालय।
- 4. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम।
- 5. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल।

Copy to:

- The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Guntur Audit / Hyderabad (CCA).
- 2. The Development Commissioner, VSEZ, Duvvada.
- 3. CAO / DDO Visakhapatnam CGST / Guntur Audit Commissionerates
- 4. PAO, Visakhapatnam.
- 5. Notice Board/website/Stock file.